राजस्व अपील संख्या 268/2022
अनवान
बाघाराम बनाम सरकार वगैरा

दिनांक 6–6–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 9/2021 अनवान तहसीलदार जोधपुर बनाम बाघाराम वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 29–10–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। उक्त अपील के रेस्पो0 संख्या 12 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त अपील मे पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि मै अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे रेस्पो0 संख्या 12 था इसलिए मुझे इस अपील मे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा आनन्दसिह पि0 देवीसिह राजपूत निवासी सारन नगर (बावरला) जोधपुर को पक्षकार रेस्पो0 बनाया जाकर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जोधपुर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–10–2021 का अवलोकन किया।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 9/2021 मे पारित आदेश दिनांक 29–10–2021 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुंसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें,साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।